

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

त्रसाधारगा

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 20 मई, 1976 वैशाख 30, 1898 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2399/17 वि-1--82-76 लखनऊ 20 मई, 1976

ग्रधिसूच ना

ਰਿਰਿਸ਼

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यनाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विकी कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 मई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1976 के रूप में सर्वताधारण को सूचनार्थ इस अधिपूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिको-कर (संशोधन ग्रौर वैधोकरण) ग्रिधिनियम, 1976

(उत्तरप्रदेश प्रधिनियम संख्या 23, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित (हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिर्की-कर ऐक्ट, 1948 ई0 का स्रग्रतर संशोधन करने के लिये

ग्रिधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रिधिनियम बनाया जाता है:---

संख्या 94 8

> 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विकोकर (संशोधन ग्रौर वैधीकरण) प्रधिनियम, 1976 संि कहा जायगा।

2--उत्तर प्रदेश विको-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (जिसे ग्रागे मूल ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, ग्रथीत:---

- "(1) धारा 3-कक या धारा 3-व में जैसा अन्यया उपवन्धित है उसके सिवाय, इस प्रिधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर--
 - (क) किसी होटल या जलपान-गृह या उसके भाग में कैबरे या क्लोर-शो की व्यवस्था के साथ उपभोग के लिये प्रस्तुत खाद्य पदार्थी या पेय पदार्थी के सम्बन्ध में विकय-धन पर, ऐसी दरपर, जो चालीस प्रतिशत से ग्रधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा; ग्रीर

संक्षिष्त नाम

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15,1948 की घारा 3-क का संशोधन (ख) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विकय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर पर, जो पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा और उक्त अनुसूची की किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविध्टि निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गई किसी प्रविध्टि को इसी तरह पूर्ववत रख सकती है और किसी प्रविध्टि के निकालने या पूर्ववत् रखने को कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।"

धारा 3-घका संशोधन 3—मूल स्रिधिनियम की धारा 3-घ में, उपधारा (1) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुन: संख्यांकित करके स्पष्टीकरण 1 कर दिया जायगा, श्रीर तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 बढ़ां दिया जायुंगा श्रीर सर्देव से बढ़ाया गया समझा जायगा, श्रर्थात्:——

"सुष्टिकरण 2—इस उप धारा के प्रयोजनायं, स्नावश्यक वस्तु स्रिधिनियम, 1955 की द्वारा 3 के स्रधीन या डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी स्नाफ इण्डिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के स्रधीन दिये गये किसी स्नादेश के अनुसरण में खाद्यान्न के अय के सम्बन्ध में, जिसमें उद्यहण स्रंश से स्रिधिक कोई अय भी सिम्मिलित है, राज्य सरकार या उसके अय-स्रिभिक्ती से किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम अय ऐसे खाद्यान का प्रथम अय होगा, स्रीर तदनुसार ऐसे व्यापारी पर उस स्थल पर कर लगाया जायगा।"

मधिनिय

वारा 3-क्क का संशोधन 4--मूल ग्रिधिनियम की धारा 3-छ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, और सद्दैन से रखी गई समझी जायगी, ग्रर्थात्:--

"3-ड--प्रत्येक व्यापारी जो 21 मई, 1974 को या इसके पश्चात् किसी रिजस्टर्ड व्यापारी के तिप्य संव्यवहारों पर कार्त के का लगायां व्यक्ति से कोई कर देय न हो या रिजस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है तो वह ऐसे माल जानूसे । के कय-मूल्य पर, उसी दर पर, जिस पर ऐसे माल के विकय-मूल्य पर कर देय होता यदि उपरिलिखित परिस्थितियां विद्यमान न होती, कर का देनदार होगा :

ें प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल पर बिकी के केवल एक स्थल पर कर देय हो और यदि ऐसा ब्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह साबित कर दें कि खरीदें गयें माल पर कर इस अधिनियम के किसी अन्य उपवन्ध के अधीन पहले ही लग चुका है या लगाया जायगा तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसे माल का कय छव्वीस मई, 1975 के पूर्व किया गया हो तो पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड का यह अर्थ लगाया जायगा कि शब्द "कर-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन" के पश्चात् शब्द "या केन्द्रीय विकय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन" बढ़ा दिये गये हैं।"

धारा 3-च का संशोधन। 5--मूल ग्रिधिनियम की धारा 3-च में, शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 ग्रिप्र ल, 1975 से रखा गया समझा जायेगा, ग्रिथीत्:---

> "प्रतिबन्ध यह है कि खाद्यान्न की दशा में, किसी ऐसे व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की दर, जिसके, यथास्थिति, कर देय विकय-धन या कय-धन या दोनों का योग किसी कर-निर्धारण वर्ष में दस करोड रुपये से श्रिधिक हो, पांच प्रतिशत होगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि"

घारा 3—छ का संशोधन 6—मूल ब्रिधिनियम की धारा 3—छ में, उपधारा (2) के ब्रन्त में, शब्द ''या यदि ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम का कोई कार्यालय या ब्रिधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो,'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

घारा 4 का संशोधन 7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(क) पानी, दूघ, नमक, समाचार-पत्र, संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिकी कराधान अधिनियम, 1939 में यथा-परिमापित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल और अलकोहल या किसी अन्य माल की बिकी या खरीद पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञित्त द्वारा छूट दे; या "

8--- मूल अधिनियम की घारा 4-- खं में,---

धारा 4-ख का संशोधन

- (1) उपवारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द और अंक "यदि वारा 3 मू के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त घारा के अ अपने कय या प्रथम कय के कय-धन पर कर का देनदार हो" के स्थान पर्रै शब्द और अंक ''यदि घारा 3–घ की उपघारा (1) के अर्घान कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त घारा के अधीन, यथास्थिति, ऋय या प्रथम ऋय के ऋय-घन पर कर का देनदार हो या यदि कोई माल किसी व्यापारी द्वारा उन परिस्थितियों में खरीदा जाय जिनमें ऐसा व्यापारी घारा 3-इ के अधीन उसके सम्बन्ध में ऋय-कर का देनदार हो," रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे;
- (2) उपवारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "किसी अन्य घारा के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के किसी अन्य उपवन्ध के अधीन" रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे; और
- (3) उपधारा (4) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक और स्नंक ''उपद्यारा (3) के अर्घीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''घारा 8–ग के अघीन'' रख दिये जायेंने और दिनांक 1 मार्च, 1973 से रखे नये समझे जायेंने ।

9--मूल अविनियम की बारा 8-क में, उपवारा (1-क) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान

घारा 8-क का प्रशोधन

- 9--मूल अधिनियम की बारा 8-क में, उपबारा (1-क) में, खण्ड (ग) आर (प्राप्तार के प्रश्निक की बारा 8-क में, उपबारा (1-क) में, खण्ड (ग) आर (प्राप्तार के प्रश्निक के सम्बन्ध में, व्यापारी द्वारा प्रचास रुपये का जुल्क देय होगा। प्रत्येक ऐसे कर -निर्घारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके 🕬 निमित्त नवीकरण कराया जाना है, पर्चीस रुपये का शुल्क देय होगा।
 - (घ) जो व्यक्ति, यथास्थिति, रिजस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिये निर्घारित अविव के भीतर प्रार्थना-पत्र न दे उसे, घारा 14 या घारा 15-क के उपवन्त्रों पर प्रतिकूल प्रभाव । डाले विना, अपेक्षित शुक्क के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके माग के लिये, जिसमें व्यतिकम पूर्ववत् बना रहे, 25 रुपये का अर्थ-दण्ड देना होगा।"

10---मूल अघिनियम की वारा 8--ख में, उपवारा(2) के स्थान पर निम्नलिखित उपवारा रेख दी जायगी और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:--

भारा 8-स का संशोबन

"(2) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र निर्घारित रीति से सत्यापित किया जायगा, और उसके साथ प्रथम कर-निर्घारण वर्ष या उसके माग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो,पचास रुपये, और प्रत्येक अनुवर्ती कर-निर्घारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निर्मित्त वह दिया गया हो, पच्चीसं रुपये का शुल्क भुगतान करने का सन्तोष-जनक प्रमाण होगा ।"

11—मूल अधिनियम की घारा 11 में, उपघारा (1)में, अंक और शब्द "100 र0" के स्थान पर शब्द "दो सी रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

12--मूल अविनियम की बारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित घारा रख दी जायगी, अर्थात्:-

घारा 32 का संशोधन

``32--(1) उपघारा(3)के उपबन्घों के अघीन रहते हुए, घारा 9 के अयीन अपील कितपय मामलों के ज्ञाप-पत्न और अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्नों पर देय शुरुक निम्नलिखित होगा:--

(क) घारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर 🕟

विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदंड की धन-राशि का दो प्रतिशत, किन्तु कम से कम पांच रुपया और अधिक से अधिक दो सौ पचास रुपया ।

(ख) घारा 10 के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर, जो कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्र न हो

विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दण्डं की घनराशि का साढ़े सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पन्द्रह रुपया और अभिक से अधिक पांच सी रुपया।

(ग) घारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर

। बास रुपया

- (घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर: ---
- (1) जब वह बिकीकर किमश्नर या पुनरीक्षण तीन रूपया अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को सम्बोधित हो
- (2) जब किसी अन्य अविकारी या प्राधिकारी दो रूपया को सम्बोधित हो
- (2) इस धारा में और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध में निविष्ट शुल्क का भुगतान--
 - (क) उत्तर प्रदेश के किसी खजाने या उप-खजाने या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा में जमा करके किया जायगा, और उसदशा में खजाने के चालानकी एक प्रति, जिसमें अपेक्षित शुल्क की जमा धनराशि दिखाई गई हो, ज्ञाप-पन्न या प्रार्थना-पन्न से संलग्न की जायेगी; या
 - (ख) चैक या वैक ड्राफ्ट द्वारा किया जायगा, ग्रोर उस दशा में उसको खजाने के चालान की तीन प्रतियों के साथ ज्ञाप-पद्म या प्रार्थना-पद्म से संलग्न किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां देय शुल्क की धनराशि दस रुपये से अधिक न हो, वहां व्यापारी अपनी स्वेच्छा से उसका भुगतान, यथास्थिति, ज्ञाप-पन्न या प्रार्थना-पन्न पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाकर कर सकता है।

- (3) निम्नलिखित के सबंध में कोई शुल्क देय न होगा--
- (क) विकीकर किमश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्न; और
- (ख) ऐसा प्रार्थना-पत्न जिसमें केवल सूचना मांगी गई हो, स्रौर जिसमें किसी विनिदिष्ट स्रनुतोष की प्रार्थना न की गई हो।"

नई घारा 35 का बढ़ाया जाना 13--मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:--

- "35—-(1)यदि न्यायालय के समक्ष प्रथवा धारा 7 या 21 के ग्रधीन कर-निर्धारक विवादग्रस्त प्रश्नों का श्रधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से ग्रन्यन्न कोई प्रशन् ग्रवधारण उत्पन्न होता है कि क्या, इस ग्रधिनियम के प्रयोजनार्य;—
 - (क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसाइटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यापारी है; या
 - (ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के ग्रयमिसार है; या
 - (ग) कोई संव्यवहार विकय या कय है भ्रौर यदि हां, तो उसका विकय या कय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या
 - (घ) किसी व्यापारी-विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्न देना अपेक्षित है; या
 - (ङ) किसी विकय या कय-विशेष के सम्बन्ध में कर देय है और यदि हा, तो उसकी दर क्या है;

तो संबंधित ब्यक्तिया व्याारी, धारा 32 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे लेख्यों सहित जो निर्धारित किये जाय, विकीकर कमिश्नर को प्रार्थ ना-पत्न दे सकता है।

(2) विकीकर कमिश्नर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा विनिश्चय देने के पूर्व बिकीकर किमश्नर स्व-विवेकानुसार अपने प्रधीनस्थ प्रधिकारी से ऐसी जांच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्नके विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।

- (3) इस धारा के अधीन विकीकर किमश्नर के विनिश्चय से किसी कर निर्धारक अधि कारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधिमान्यताया उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (4) को ईप्रश्न, जो अधिनियम के प्रधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्राथीं के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदश से उत्पन्त हो, इस धारा के अधीन अवधारण क लिय ग्रहण नहीं किया जायगा।

- (5) इस धारा के अधीन विकीकर कमिश्नर द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय, उच्च-न्यायालय को अपील के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।
- (6) इस धाराके ग्रधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रतिप्रार्थी ग्रौर सम्बद्ध कर-निर्धा-रक ग्रधिकारी को भेजी जायेगी।"

14---मूल ग्रधिनियम की प्रथम ग्रनुसूची में---

प्रथम अनुसूची का संद्योजन

(1) कम-संख्या 26, 32, 39, 62 और 112 के सामने की प्रविब्टियों के स्थान पर निम्निलिखित प्रविद्यां रख दी जायेंगी, श्रर्थात् :---

क्रम-संख्या माल का विवरण स्थल जिस पर कर लगेगा 2 चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देखभाल के नि0 ग्रथवाग्रा0 26 😁 🕠 लिये सभी प्रकार को सौन्दर्यवर्ध क एवं प्रसाधन सामग्री, किन्त् इसमें साबुन, सेफ्टीरेजर ब्लेड, दूथपेस्ट, दूथ पाउडर ग्रीर ग्रन्य मंजन, द्थेन श्रीरक्म-क्म सम्मिलित नहीं हैं। समस्त विजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधित ग्रौर समस्त ऐसी नि र्व ग्रयथवा आ 0 32 वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के विना नहीं हो सकता है ग्रौर जिसके ग्रन्तर्गत पंखा, प्रतिदोप्त ट्यूब (जिसके ग्रन्तर्गत इनके स्टार्ट र, चोक, फिक्सचर, फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हं), बिजली के मृत्तिका पात ग्रौर पोसीलेन ग्रौर ग्रन्य सम्बद्ध सोमान और सहयोगी भाग है, जो चाहे पूर्णतः या अंशतः वेचे जाते हैं, किन्तू इसमें विद्युत शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिये ग्रपेक्षित विजली की सज्जा, संयंत्र ग्रौर उनके सम्बद्ध सामान, इलेक्ट्रिक मोटर और उसके भाग, टार्च,टार्च सेल, टार्च बल्ब, डाई सेल बैट्टी और फिलामेन्ट लाइटिंग बल्व सिम-लित नहीं है। कांच के बने समस्त सामान और बर्तन, किन्तु इसके अन्तर्गत सादा नि0 ग्रथवा ग्रा0 39 कांच फलक, चम्मों के शोशे, हरीकेन लालटेन की चिमनी, बोतल और शीशी, कांच की गुरिया (बीड्स), क्लिनिकल सिरिज, थर्मामीटर और कांच के बने वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण सम्मिलित नहीं हैं। उपभोक्ता के हाथ विकी (क) मोटर कार 62 ग्रथवा उपभोक्ता द्वारा ऋय के लिये वित्त **ध्यदस्था करने वाली** ऋय-विऋय कम्पनी के हाथ विक्री। (ख) मोटर ट्रक ग्रीर मोटर वस जिसके श्रन्तर्गत उनके वैसिस ग्रीर तदेव ं उन पर बनाई गई मोटर वाडीज भी हैं।

- (ग) सभी मोटर गाड़ियां जिसके श्रन्तर्गत उनके चैसिस भी हैं, श्रीर सभी श्राकार श्रीर डिजाइन की मोटर वाडीज़ (जिसके श्रन्तर्गतमोटर कारवां श्रीर टैंकर भी हैं), चाहे वे चैसिस पर बने हों या श्रलग से।
- 112 (क) इलेक्ट्रानिक का सामान, सज्जा, उपकरण ग्रौर उनके भाग नि । श्रथवा ग्रा । तथा सम्बद्ध सामान किन्तु इसमें टेलीविजन सेट सम्मिलित नहीं हैं।
 - (ख) टेलीविजन सेट

तदेव

(2) क्रम-संख्या 89के सामने स्तम्भ 2की प्रविष्टिके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, ग्रर्थात् :——

"सभी प्रकार की स्पिट और स्पिटमय गराब, जिसमें मेथाइल अल्कोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल कराधान अधिनियम, 1939 में यथा मिरिमाबित अल्कोहल भी नहीं है।"

कतिपय निकमीं का संशोधन

15-- उत्तर प्रदेश बिकी कर नियम, 1948 ई 0 में,---

- (1) नियम 12-क में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात :---
 - "(4) कोई सादा रूप-पत्न तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी ढारी 25 रूप-पत्नों की प्रति पुस्तिका के लिये 3.75 रुपये या प्रति रूप-पत्न के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का सुगतान न कर दिया गया हो।";
 - (2) नियम 12-ख में, उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, प्रथित्:—
 - "(3) कोई सादा रूप-पत्न तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी द्वारा 50 रूप-पत्नों की प्रति पुस्तिका के लिये 7.50 रुपये या प्रति रूप-पत्न के लिये 15 पैंसे की दर से शुक्क का भूगतान न कर दिया गया हो।";
 - (3) नियम 19 के खण्ड (क) में, शब्द "सरकारी खजाने में चालान के सहित" निकाल दिये जायेंगे;
 - (4) नियम 20-ख में---
 - (क) शब्द 'खजाने का ऐसा चालान भी होगा' के स्थान पर जब्द 'ऐसा प्रमाण भी होगा' रख दिये जायेंगे; तथा
 - (ख) खण्ड (ख) में, शब्द "खजाने का चालान भी होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा प्रमाण भी होगा" रख दिये जायेंगे;
 - (5) नियम 25-क में,---
 - (क) उप नियम (3) के स्थान पर निय्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखा गया समझा जायगा, श्रयति :---
 - "(3) उप नियम (1) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्न जारी किये जाने के लिये प्रत्ये क प्रार्थना-पत्न के सम्बन्ध में 50 रुपये का शुल्क देय होगा, श्रीर प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त मान्यता को नवीकृत कराना है, 25 रुपये का शुल्क देय होगा।";
 - (ख) उपनियम (5) में, अन्त में श्राये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर अल्प विराम रख दिया जायगा श्रीर उसके पश्चात् निम्नलिखित वढ़ा दिया जायगाः, श्रथात्—

"श्रीर उस कर-निर्धारण वर्ष के, जिसमें वह जारी किया जाय, श्रन्त तक प्रभावी होगा। यदि व्यापारी उसका नवीकरण कराना चाहता है तो वह उसकी समाप्ति के दिनांक के पूर्व उप-नियम (1) के श्रनुसार प्रार्थना-पत्त प्रस्तुत करेगा जिसके साथ उप-नियम (3) में निर्धारित णुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा। यदि विकी कर श्रविकारी का समाधान हो जाये कि प्रार्थना-पत्न नियमानुसार है श्रीर शुल्क जमा कर दिया गया है तो वह एक बार में तीन वर्ष से श्रन्धिक श्रवधि के लिये, जैसी नवीकरण के प्रार्थना-पत्न में उल्लिखित हो, प्रमाण-पत्न का नवीकरण करेगा।";

- (ग) उप नियम (11) में, जब्द ग्रौर श्रंक "5 रुपये" के स्थान पर जब्द ग्रौर ग्रंक "10 रुपये" रख दिये जायेंगे;
- (6) नियम 25-ख में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, प्रथित्:--
 - "(2) कोई व्यापारी, जिसके पास मान्यता का प्रमाण-पत्न हो ग्रीर जो धारा 4-ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रियायत लेना चाहता हो, उस विकी-कर ग्रधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर उसके व्यापार का मुख्य स्थान स्थित हो, घोषणा का सादा प्रपत्न जारी करने के लिये प्रार्थना-पत्न देगा। विकी-कर ग्रधिकारी द्वारा घोषणा का सादा प्रपत्न तब तक जारी नहीं किया जायगा जब

(7) नियम 41 में, उपनियम (1) में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धारमक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, श्रर्थात् :---

"ग्राग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथोक्त विवरण-पत्न प्रस्तुत करने के बजाय व्यापारी, ठीक पहले वाले वर्ष में अपने विवरण पत्न में स्वीकृत विकय धन के आधार पर, उस वर्ष का विकय धन ग्रनुमानित कर सकता है, उस पर देय कर की धनराशि आकलित कर सकता है और प्रत्येक तिमाही के प्रथम दो मास में प्रत्येक मास में उसके बारहवें भाग के बराबर धनराशि जमा कर सकता है, तथा प्रसंगोचित तिमाही के लिये अपने विवरण-पत्न में, जो इस उप-नियम में व्यवस्थित रीति से तैयार और प्रस्तुत किया जायगा, स्वीकृत विकय-धन पर देय कर का ग्रवशिष्ट भाग जमा कर सकता है।";

- (8) नियम 46-क में, शब्द और अंक "1 रु० 25 पैसे" के स्थान पर शब्द 'दो रुपये' रख दिये जायेंगे;
- (9) नियम 46-ख में, शब्द ग्रौर ग्रंक "1 रु0" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिय जायेंगे;
- (10) नियम 54 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:--
 - "(2) प्रत्येक प्रार्थना-पत्न के साथ ग्रिविनियम में विनिर्दिष्ट शुक्क और श्रर्थ-दण्ड, जहां देय हो, जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा ।";
- (11) नियम 58 में, उपनियम (1) में, शब्द और अंक "और खजाने का चालान संलग्न होगा, जिससे जात हो कि 10 रु० का शुल्क खजाने में जमा कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द "और शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे;
- (12) नियम 61 में शब्द और श्रंक "जिसके साथ खजाने का चालान इस बात का भेजा जायगा कि सरकारी खजाने में 2 रुपये का शुक्क जमा कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द श्रीर श्रंक "जिसके साथ 10 २० का शुक्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे;
 - (13) निवन 63 निकाल दिया जायना;
- (14) नियम 70 में, उपनियम (2) में, शब्द और श्रंक "1 रु० 25 पैसे" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंग ;
 - (15) नियम 77-ग में,---
 - (क) उप-नियम (1) में, शब्द "पञ्चीस नमें पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायेंगे; श्रीर
 - (ख) उप-नियम (3) $\tilde{4}$ में, जन्द "पचास नये पैसे" के स्थान पर ज़ट्द "एक रूपये" रख दिये जायेंगे ;
- (16) नियम 85 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख|,दिया जायगा $_2$ स्थित् :—
 - "(3) विकीकर भ्रधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा-पत्न तव तक जारी नहीं किया जायना जब तक कि प्रति प्रपत्न के लिये पन्द्रह पैसे या 50 प्रपत्नों की एक पुस्तिका के लिय 7.50 रुपये की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया गया हो । प्रार्थना-पत्न पर नियम 54 के उप नियम (1) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्तिया या नियम 77-क के अधीन यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।"
- (17) नियम 86 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थातु:--
 - "(3) कोई प्रमाण-पत्न तक तक नहीं दिया जायगा जब तक कि प्रति प्रमाण-पत्न के लिये वीस पैसे क शुल्क का भुगतान न कर दिया जाय ।"

कतिपय विज्ञप्तियों का संशोधन और वैधीकरण

- 16—(1) मूल श्रिधिनयम की धारा 4 के श्रिधीन अपने श्रिधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयो सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस 0 टी 0—2—6623/दस—1012—1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में, शब्द "(1) पुस्तकें तथा प्रतिकारों; ग्रौर (2) कापियां (Exercise Book) यदि वे उत्तर प्रदेश में खरीदे गये कागज से बनाई गई हों, बशर्ते कि व्यापारी कर निर्धारक श्रिधकारी के सन्तोषानुसार उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दे" के स्थान पर "पुस्तकें तथा प्रतिकायें" रख दिये जायेंगे ग्रौर सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।
- (2) मूल ग्रिधिनियम की धारा 3-क के ग्रिधीन ग्रपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा ज़ारी की गई सरकारी विज्ञष्ति संख्या एस 0 टी 0-2-6624 दस-1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में, उसकी सूची की कम संख्या 4 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, ग्रर्थात्:--
 - "4 कापियां----- प्रतिशत'
- (3) उत्तर प्रदेश बिकी-कर (संशोधन ग्रीर वैधीकरण) ग्रिधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा हारा यथासंशोधित उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के ग्रिधीन, ग्रारोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया कोई कर, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिकी या ग्रादेश के होते हुए भी, विधि के ग्रनुसार विधिमान्यतः ग्रारोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया समझा जायगा, मोनो इस धारा द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त विज्ञप्ति सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थी जब ऐसा कर ग्रारोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया था।

वैधीकरण

17—िकसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिकी या आदेश के होते हुए भी, अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसमें जारी की गई कोई विज्ञिप्त भी सिम्मिलित है), जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपवन्धों से असंगत न हो, वैसे ही वैष्ठ और विधिपूर्ण होगी, मानो इस अधिनियम के उपवन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

No. 2399 (2) /XVII-V-1-82-76

Dated Lucknow, May 20, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan, Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1976

[U. P. Act no. 23 of 1976]

(As passed by the Uttar Fradesh Legislature)

ΑN

ACT

U. P. Act no. XV of 1948.

further to amend the U. P. Sales Tax Act, 1948.

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:

Short title.

- 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976.
- Aemndment of 2. In section 3-A of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to section 3-A of as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be xV of 1948.
 - "(I) Except as otherwise provided in section 3-AA or section 3-D, the tax payable by a dealer under this Act shall be levied,—
 - (a) on the turnover in respect of any food or drink served for consumption in a hotel or restaurant or part thereof, with which a cabaret or floor show is provided therein, at such rate, not exceeding forty per cent, as the State Government may, by notification, declare; and

(b) on the turnover in respect of the goods specified in the second column of the First Schedule, at the point specified in the third column thereof, at such rate, not exceeding fifteen per cent, as the State Government may, by notification, declare, and different rates may be declared in respect of the different goods comprised in any entry in the said Schedule:

Provided that the State Government may, by notification, omit the entry relating to any goods from the First Schedule, and may in the like manner restore any entry so omitted and upon the issue of any such notification omitting or restoring any entry, the said Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (3), be deemed to be amended accordingly."

In section 3-D of the principal Act, in sub-section (1), the existing Amendment Section 3-D. Explanation shall be re-numbered as Explanation I, and thereafter the following Explanation II shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:-

Amendment of

"Explanation II—For the purposes of this sub-section, in relation to purchases of foodgrains in pursuance of any order made under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 or under rule 114 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, including any purchase in excess of the levy share, the purchase first made by a dealer from the State Government or its purchasing agent shall be the first purchase of such foodgrains and the tax shall accordingly be levied at that point on such dealer."

4. For section 3-E of the principal Act, the following section shall be , substituted, and be deemed always to have been substituted, namely:-

Amendment of section 3-E.

Every dealer, who on or after the twenty-first day of May, 1974, purchases any goods subject to sales tax from a regis-Levy of purchase tered dealer in circumstances in which no tax is payable certain by such registered dealer or from a person other than a registered dealer, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which, but for the existence of the aforementioned circumstances, the tax would have been leviable on the sale price of such goods:

Provided that if the goods are liable to tax at only one point of sale and if such dealer proves to the satisfaction of the assessing authority that the goods purchased have already been subjected to tax or will be subjected to tax under any other provision of this Act, no tax under this section shall be payable:

Provided further that where purchase of such goods was made before the twenty-sixth day of May, 1975, the preceding proviso shall be so construed as if after the words "tax under any other provision of this Act," the words "or under the Central Sales Tax Act, 1956" were inserted.

5. In section 3-F of the principal Act, for the words "Provided that", the following shall be substituted and be deemed with effect from the first day of April, 1975 to have been substituted, namely:-

Amendment of section 3-F.

"Provided that in the case of foodgrains, the rate of additional tax payable by any dealer, the aggregate of whose turnover or turnover of purchases or both, as the case may be, liable to tax, exceeds rupees ten crores in an assessment year, shall be five per cent:

Provided further that

3 to 1

413

. "";

10 of . .

19.3

٠.,

411,

·4] •

. . .

1

4

٠,

In section 3-G of the principal Act, in sub-section (2), at the end, the words "or if such department, company, corporation or undertaking has no office or establishment situated in Uttar Pradesh" shall be inserted.

Amendment of section 3-G.

7. In section 4 of the principal Act, for clause (a), the following clause Amendm shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from section 4. the second day of May, 1974, namely :-

Amendment of

"(a) the sale or purchase of water, milk, salt, newspapers, motor spirit, diesel oil or alcohol as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1989 or any other goods which the State Government may, by notification exempt; or".

Amendment of section 4-B.

- 8. In section 4-B of the principal Act,-
- (1) in clause (a) of sub-section (1), for the words and figures "where any goods liable to tax under section 3-D are purchased by a dealer who is liable to tax on the turnover of his purchases or first purchases, as the case may be, under that section", the words and figures "where any goods liable to tax under sub-section (1) of section 3-D are purchased by a dealer who is liable to tax on the turnover of purchases or first purchases, as the case may be, under that sub-section or where any goods are purchased by any dealer in circumstances in which such dealer is liable to purchase tax in respect thereof under section 3-E" shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the twenty-first day of May, 1974;
- (2) in clause (b) of sub-section (1), for the words "under any other section", the words "under any other provision of this Act" shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the twenty-first day of May, 1974; and
- (3) in sub-clause (c) of clause (i) of sub-section (4), for the words, brackets and figures "under sub-section (3)", the words, figure and letter "under section 8-C" shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of March, 1973.

Amendment of section 8-A.

- 9. In section 8-A of the principal Act, in sub-section (I-A), for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1976, namely:—
 - "(c) In respect of every application for registration, a fee of rupees fifty shall be payable by the dealer. A fee of rupees twenty-five shall be payable for every assessment year or part thereof for which registration is sought to be renewed.
 - (d) A person failing to apply within the period prescribed for registration or renewal, as the case may be, shall, without prejudice to the provisions of section 14 or section 15-A, pay, in addition to the requisite fee, a penalty of Rs.25 for every month or part thereof during which the default continues."

Amendment of section 8-B.

- 10. In section 8-B of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1976, namely:—
 - "(2) The application for provisional registration shall be verified in the prescribed manner, and shall be accompanied by satisfactory proof of the payment of a fee of rupees fifty for the first assessment year or part thereof, and rupees twenty-five for every subsequent assessment year or part thereof, for which it has been made."

Amendment of section 11.

11. In section 11 of the principal Act. in sub-section (1), for the words "One hundred rupees", the words "two hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of section 32.

- 12. For section 32 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
 - Fees in certain able on a memorandum of appeal under section 9 and other applications under this Act shall be as follows:
 - (a) On a memorandum of appeal under section 9
 - (b) On an application for revision under section 10, not being an application for stay of realisation of tax, fee or penalty
 - (c) On an application under section 35

Two per cent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of five rupees and a maximum of two hundred and fifty rupees.

Seven and a half per cent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of fifteen rupees and a maximum of five hundred rupees.

Fifty Rupees.

11

- (d) On any other application:-
- (i) When addressed to the Commissioner of Sales Tax or the Revising Authoany Additional rity or Revising Authority

Three Rupees.

(ii) When addressed to any other officer or authority

Two Rupees.

- (2) The fee referred to in this section and in any other provision of this Act or the Rules made thereunder shall be payable—
 - (a) by deposit into a treasury or sub-treasury or a branch of the State Bank of India in Uttar Pradesh, in which case a copy of the treasury chalan showing deposit of the requisite amount of fee shall be attached to the memorandum or application; or
 - (b) by cheque or bank draft, in which case it shall, along with treasury chalan in triplicate, be enclosed with the memorandum or application:

Provided that where the amount of fee payable does not exceed ten rupees, the same may at the option of the dealer be paid by affixing court fee stamps on the memorandum or application, as the case may be.

- (3) No fee shall be payable in respect of-
 - (a) an application presented by the Commissioner of Sales Tax or any other officer or authority appointed under this Act or the Rules made thereunder; and
 - (b) an application in which only information is sought and in which no specific relief is prayed for."
- After section 34 of the principal Act, the following section shall be Insertion inserted, namely:-

new section 35.

- (1) In any question arises, otherwise than in a proceeding pending before a court or before an assessing authority Determination of disputed quesunder section 7 or section 21, whether, for the purposes tions. of this Act,-
 - (a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a
 - b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or
 - (c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or
 - (d) any particular dealer is required to obtain, or to apply for the renewal of, registration; or
 - (e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof,

the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in section 32, submit an application to the Commissioner of Sales Tax, alongwith such documents as may be prescribed.

(2) The Commissioner of Sales Tax shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, decide as he deems fit the question so arising:

Provided that, before giving such decision, the Commissioner of Sales Tax may, in his discretion, ask an officer subordinate to him to make such inquiries as he considers necessary for the decision of the question.

- (3) No decision of the Commissionen of Sales Tax under this section shall affect the validity or operation of any order passed earlier by any assessing authority, appellate authority or revising authority.
- (4) No question which arises from an order already passed, in the case of the applicant, by any authority under this Act shall be entertained for determination under this section.

- (5) A decision given by the Commissioner of Sales Tax under this section shall, subject to an appeal to the High Court, be final.
- (6) A copy of the decision given under this section shall be sent to $\frac{\pi}{2}$ the applicant and to the assessing authority concerned."

Amendment of the First Sche-

- 14. In the First Schedule to the principal Act,—
 - (1) for the entries against serial numbers 26, 32, 39, 62 and 112, the following shall be substituted, namely:—

following shall be substituted, namely:—						
Sl. no	. Description of goods	Point of tax				
Ţ	. II	III				
26	All kinds of cosmetics and toilet preparations for beautification or care of the face, skin, hair, nails, eyes or brows, but not including soaps, safety razor blades, tooth pastes, tooth powders and other dentifrices, tooth brushes and kumkum.	M or I				
32	All electrical goods, instruments, apparatus, appliances and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including fans, fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixtures, fittings and accessories), electrical earthenware and porcelain and all other accessories and component parts, whether sold as a whole or in parts, but excluding electrical equipment, plants and their accessories required for generation, distribution and transmission of electrical energy, electric motors and parts thereof, torches, torch-cells, torch bulbs, dry cell batteries and filament lighting bulbs.	M or I				
39	All goods and wares made of glass, but not including plain glass-panes, optical lenses, hurricane lantern chimneys, bottles and phials, glass-beads, clinical syringes, thermometers, and scientific apparatus and instruments made of glass.	M or 1				
62	(a) Motor cars	Sale to consumer or Hire purchase company financing the purchase by the consumer.				
	(b) Motor trucks and motor buses, including their chassis and motor bodies built thereon.	Ditto.				
	(c) All other motor vehicles including their chassis and motor bodies of all shapes and designs (including motor caravans and tankers), whether built on chassis or separately.	Ditto.				

112 (a) Electronic goods, equipment, appliances, and parts M or I and accessories thereof, but not including Television sets.

(b) Television Sets

M or I.

(2) for the entry in column II against serial number 89, the following shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the second day of May, 1974, namely:-

"Spirits and spirituous liquors of all kinds, including methyl alcohol, but excluding country liquor and also excluding alcohol as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939."

15. In the U. P. Sales Tax Rules, 1948:-

Amendment of certain rules.

- (1) in rule 12-A, for sub-rule (4), the following shall be substituted. namely:—
 - "(4) No blank form shall be issued except on payment of fee by the dealer at the rate of Rs.3.75 per book of 25 forms or fifteen paise per form."
- (2) in rule 12-B, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:—
 - "(3) No blank form shall be issued except on payment of fee by the dealer at the rate of Rs.7.50 per book of 50 forms or fifteen paise per form."
- (3) in clause (a) of rule 19, the words "in treasury along with chalans" shall be omitted;
 - (4) in rule 20-B,—
 - (a) in clause (a), for the words "by a treasury chalan showing deposit", the words "by satisfactory proof of deposit" shall be substituted; and
 - (b) in clause (b), for the words "by a treasury chalan showing deposit", the words "by satisfactory proof of deposit" shall be substituted;
 - (5) in rule 25-A,-

ŀ,

ننز

- (a) for sub-rule (3), the following shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1976, namely:—
 - "(3) A fee of Rs.50 shall be payable in respect of every application for issue of recognition certificate under sub-rule (1), and a fee of Rs.25 shall be payable for every assessment year or part thereof for which recognition is sought to be renewed."
- (b) in sub-rule (5), for the full stop at the end, a comma shall be substituted and the following shall thereafter be inserted, namely:—

"and shall be effective till the end of the assessment year in which it is issued. If the dealer wishes to get it renewed, he shall submit an application in accordance with sub-rule (1) before the date of its expiry, accompanied by satisfactory proof of deposit of the fee prescribed in sub-rule (3). If the Sales Tax Officer is satisfied that the application is in order and the fee has been deposited, he shall renew the certificate for such period, not exceeding three years at a time, as may be stated in the application for renewal."

- (c) in sub-rule (11), for the word and figure "Rs.5", the word and figure "Rs.10" shall be substituted;
- (6) in rule 25-B, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—
 - "(2) A dealer holding a recognition certificate who wishes to avail of the concession referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 4-B, shall apply to the Sales Tax Officer within whose jurisdiction his principal place of business is situate for the issue of blank Declaration Forms. No blank Declaration Forms shall be issued by the Sales Tax Officer except on payment of fee by the dealer at the rate of Rs.3.75 per book of 25 forms or 15 paise per form. The application shall be signed by one of the persons mentioned in sub-rule (1) of rule 25-A."
- (7) in rule 41, in sub-rule (1), the following second proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the dealer may, instead of submitting a return as aforesaid, estimate his turnover for the year on the basis of the turnover admitted by him in his return for the immediately preceding year, calculate the amount of tax payable thereon and deposit a sum equal to one-twelfth thereof during each of the first two months of every quarter, and deposit the balance of tax due on the turnover admitted by him in his return for the relevant quarter which shall be prepared and submitted in the manner laid down in this sub-rule."

- (8) in rule 46-A, for the words and figures "Rs.1 and 25 paise", the words "two rupees" shall be substituted;
- (9) in rule 46-B, for the word and figure "Re.1", the words "two rupees" shall be substituted;
- (10) in rule 54, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
 - "(2) Each application shall be accompanied by satisfactory proof of deposit of fee and penalty specified in this Act, where payable";
- (11) in rule 58, in sub-rule (1), for the words and figures "and a treasury chalan showing deposit of a fee of Rs.10 into the treasury", the words "and satisfactory proof of deposit of fee" shall be substituted;
- (12) in rule 61, for the words and figure "which shall be accompanied by a treasury chalan showing the deposit of a fee of Rs.2 in the treasury", the words and figure "which shall be accompanied by satisfactory proof of deposit of a fee of Rs.10" shall be substituted;
 - (13) rule 63 shall be omitted;
- (14) in rule 70, in sub-rule (2), for the words and figures "Rs.1 and 25 paise", the words "two rupees" shall be substituted;
 - (15) in rule 77-C,-
 - (a) in sub-rule (1), for the words "twenty five paise", the words "one rupee" shall be substituted; and
 - (b) in sub-rule (3), for the words "fifty paise", the words "one rupee" shall be substituted;
- (16) for sub-rule (3) of rule 85, the following shall be substituted, namely:—
 - "(3) No blank declaration forms shall be issued by the Sales Tax Officer except on payment of a fee of fifteen paise per form or Rs.7.50 per book of 50 forms. The application shall be signed by one of the persons mentioned in sub-rule (1) of rule 54 or a person duly authorised under rule 77-A."
- (17) for sub-rule (3) of rule 86, the following shall be substituted, namely:—
 - "(3) No certificate shall be issued except on payment of a fee of twenty paise per certificate."

Amendment and validation of certain [notifications,

- 16. (1) In Government notification no. ST-II-6623/X-1012-1972, dated December 1, 1973, issued by the State Government in exercise of its powers under section 4 of the principal Act, for the words "in respect of—(i) books and magazines, and (ii) exercise books, if made from paper purchased within Uttar Pradesh, provided proof thereof is furnished by the dealer to the satisfaction of the assessing authority", the words "in respect of books and magazines" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.
- (2) In Government notification no. ST-II-6624/X-1012-1972, dated December 1, 1973, issued by the State Government in exercise of its powers under section 3-A of the principal Act, for the entries against serial no. 4 of the List therein, the following shall be substituted, and be deemed always to have been substituted, namely:—
 - "4. Exercise Books

5 per cent".

(3) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or authority, any tax imposed, assessed, levied or collected before the commencement of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976 under the notification referred to in sub-section (2) as amended by this section, shall be deemed to have been validly imposed, assessed, levied or collected in accordance with law, as if the aforesaid notification, as amended by this section, had been in force at all material times when such tax was imposed, assessed, levied or collected.

Validation.

17. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or authority, anything done or any action taken (including any notification issued) before the commencement of this Act, not inconsistent with the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall be deemed to be, and always to have been, as valid and lawful as if the provisions of this Act had been in force at all material times.

श्राज्ञासे,

संख्या एस 0 टी 0-2-2956/दस--6 (17)-76

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश साधारण खंड ग्रधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक-कर ऐवट, 1948ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15,1948ई0) की धारा 3-क की उपधारा (1) के खंड (ख) के ग्रधीन ग्रधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 20 मई, 1976 से समय-समय पर तथा संगोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या-एस 0 टी 0-2-332/दस——1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन

संशोधन

े उपर्युवत विज्ञप्ति की छनुसूची में, स्तम्भ 2,3 श्रौर 4 के नीचे मद संख्या 26,32,39, 62,89 श्रौर 112 के इसामने की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायगी :--

क्रम सहस्त

क्रम स् ———	म [ा] ल का विवर ण	स्थल जिस पर क र लगेगा	कर की दर
1	. 2	3	4
26	चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेंव या भौंह की शोभा या देखमाल के लिय प्रकार की सौन्दयं बर्ध र एवं प्रसाधन सामग्री, किन्तु इतमें साबुन, से र ब्लेड, टूथपेस्ट, टूथपाउडर ग्रौर ग्रन्य मंजन, टूथव्रश ग्रौर कुम-कुम लित नहीं है।		12 प्रतिशत
32	समस्त बिजली का सामान, यब, उपकरण, साधिब और समस्त ऐसी जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके के पंखा, प्रतिदीष्त ट्यव (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्ट फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका पात्र और पं लेन और अन्य सम्बद्ध सामान और सहयोगी भाग हैं, जो चाहे पूर्णत अंशत: बेचे जाते हैं, किन्तु इपमें विद्युत् शक्ति के जनन, बितरण पारेषण के लिये अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके सम् सामान, इलेक्ट्रिक मोटर और उसके भाग, टार्च, टार्च सेल, टार्च इं	ग्तर्गत सचर, ोर्सी- ∵या श्रौर म्बद्ध बल्ब,	12 प्रतिश ^त
39	कांच के बने समस्त सामान ग्रीर बर्तन, किन्तु इसके ग्रन्तर्गत सादा कांच चश्में के शीशे, हरीकेन लालटेन की चिमनी, बोतल ग्रौर शीशी, कांच गुरियां (बीड्स), क्लिनिकल सिरिज, थर्मामीटर ग्रौर कांच के बने व निक यत्न ग्रौर उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।	स उद्दो	12 प्रतिशत
	(क) मोटर कार	उपभोक्ता के हाथ बिकी ग्रथवा उप- भोक्ता द्वारा कय के लिये वित्त ब्यवस्था करने वाली कय विकय कंपनी के हाथ विकी ।	7 प्रतिशत
. ((ख) मोटर ट्रक ग्रौर मोटर वस जिसके ग्रन्तर्गत उनके चैसिस ग्रौर उन बनाई मई मोटर बाढीज भी हैं ।	पर तदेव	9 प्रतिशत
· (ग) सभी मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत उनके चैसिस भी हैं, स्रीर स स्राकार स्रीर डिजाइन की मोटर बाडोज (जिसके अन्तर्गत मोटर का स्रीर टैंकर भी हैं), चाहे वे चैसिस पर बने हों या स्रलग से।	ामी तदेव रवां	12 प्रतिशत

1

2

3

- 89 सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब, जिसमें मेथाइल ग्रल्कोहल सम्मिलित नि 0 ग्रथवा ग्रा 0 12 प्रतिशत है, किन्तु देशी शराब सिमिलित नहीं है ग्रीर जिसमें संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल ग्रायल तथा ग्रल्कोहल कराधान ग्रिधिनियम, 1939 में यथा-परिभाषित ग्रल्कोहल भी सम्मिलित नहीं है।
- 112 (क) इलेक्ट्रानिक का सामान सज्जा,उपकरण ग्रौर उनके भाग तथा संबद्ध नि o श्रथवा ग्राo 12 प्रतिशत सामान किन्तु इसमें टेलीविजन सेट सम्मिलित नहीं हैं।
 - (ख) टेलीविजन सेट

नि 0 अथवा आ 0 7 प्रतिशत

संख्या एस 0 टी 0 2--295 7/दस--6(17)-76

लखनऊ, 20 मई, 1976

जत्तर प्रदेश साधारण खंड ग्रिधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश ग्रिधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई0) हो धारा 3-ह की उपधारा (2-क) के प्रतिबन्धात्मक खंड के ग्रिधीन ग्रिधिकार का प्रयोग करके राज्यवाल, दिनांक 20 मई, 1973 से, समय-समय पर स्थासंशोधित सरकारी विज्ञान्ति संख्या एस 0 टी 0-2-4949 इस -10 (2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 में निम्बलिखित संशोधन करते हैं:--

संशोधन

उपर्युक्त विज्ञप्ति की स्नतुसूची में, क्रम संख्या 30 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायगी, स्नर्यात्-

ऋम संख्य	ा माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा	करकी द
1	2	3	4.
31	नक्णे, ग्रैक्षिक रेखा चित्र (चार्ट), उपकरणिका बक्स (इंस्ट्रूमेन्ट बाक्स), छात्रों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले ग्रैक्षिक ग्लोब ग्रौर उपकरणिकायें जैसे यांतिक उद्रेख (मैकनिकल ड्राइंग) ग्रौर जीव-विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली उपकरणिकायें।	नि 0 अथवा आ 0	3 प्रतिशत

संख्या-एस 0टी 02-2958/दस--9(1)-76 लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश साधारण खंड ग्रिधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश ग्रिधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथपठित उत्तर प्रदेश विकी-कर ऐक्ट, 1948 है 0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 है 0) की धारा 4-ख के अधीन ग्रिधिकारों का प्रयोग करके तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सरकारी विज्ञिष्ति संख्या एस 0टी 0-2-4938 दिस-10(2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 का ग्रितिकमण करके राज्यपाल यह ग्रादेश देते है कि इस विज्ञिष्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ग्रीर उक्त धारा 4-ख में विनिदिष्ट शर्ती तथा निर्वन्धनों के ग्रिधीन रहते हुए,--

(1) किसी नई इकाई द्वारा परिशिष्ट 1 में उल्लिखित माल के निर्माण अथवा निर्मित माल की पैकिंग में उपयोग क लिये अपेक्षित, किसी 'कच्चे माल' के संबंध में इकाई को की गई बिकी या, यथास्थित, उसके द्वारा किये गये किय पर, यदि नई इकाई परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों में स्थापित की जाय तो उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अविध के लिये, और यदि वह राज्य के अन्य जिलों में स्थापित की जाय तो ऐसे दिनांक से तीन वर्ष की अविध के लिए, कोई कर देय नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन ग्रारम्भ करने का दिनांक 1 जनवरी, 1979 के बाद न पड़ता हो;

- (2) किसी इकाई द्वारा परिणिष्ट 3 में उल्लिखित माल के निर्माण ग्रथवा उक्त निर्मित माल की पैकिंगे में उपयोग के लिये ग्रपेक्षित किसी "कच्चे माल" के संबंध में इकाई को की गई विकी या, यथास्थिति, उसके द्वारा किये गये क्रय पर कोई कर देय नहीं होगा;
- (3) उपर्युक्त खंड (1) तथा (2) में उल्लिखित इकाई से भिन्न किसी इकाई के संबंध में, किन्तु जिसके के अन्तर्गत आसवनी और यवासवनी तथा कागज, कत्था, दियासलाई, दियासलाई की खाली डिबियाँ दियासलाई की तीलियां तथा दियासलाई जल्कल (मच विनियर) वनान म लगी इकाइयां नहीं है, उसके द्वारी के

निर्मित किसी माल के निर्माण प्रथवा उक्त निर्मित माल की पैकिंग में उपयोग के लिये अपेक्षित, 'कच्चेमाल' की उसको बिक्री या, यथास्थिति, उसके द्वारा किये गये क्रय पर कर नीचे इंगित रियायती दर पर, जिसमें 1948 ई 0के उक्त ऐक्ट की धारा 3-च के अधीन देय अतिरिक्त कर भी,यदि कोई हो, सम्मिलित है, लगाया जायगा:---

(क) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, 1956)

की धारा 14 में यथा-परिभाषित तिलहन

2 प्रतिशत

(ख) खली

3 प्रतिशत

'(ग) कोई अन्य 'कच्चा माल'

4 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इकाई द्वारा निभित्त माल पर 1948ई 0 के उक्त ऐक्ट के ग्रधीन किसी भी स्तर पर कर देय न हो तो इस विज्ञप्ति के ग्रधीन कोई रियायत ग्रनुमन्य न होगी ।

स्पष्टीकरण:—(1)'नई इकाई' का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, उप साधनों या संबदक पुजों का प्रयोग होता हो तो उत्तरप्रदेश में किसी ग्रन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से ही प्रयोग में न लाये गये हों ग्रयवा न उसमें प्रयोग के लिये ग्राजित किये गये हो किन्तु इसके ग्रन्तर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वतमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का कोई परिवर्द्धन या प्रसार सम्मिलित नहीं है।

(2) 'उत्पादन ग्रारम्भ करने का दिनांक' का तात्पर्य उस दिनांक सें है जब विज्ञापित माल के निर्माण में या उसकी पैकिंग में उपयोग में लाने के लिये अपेक्षित कोई कच्चामाल पहलीबार कथ किया जाय ।

परिशिष्ट 1

खंड (1) में निर्दिष्ट विज्ञापित माल की सूची

- 1 ग्रायल इंजिन तथा ग्रायल एक्सपेलर
- 2 पावर टिलर
- 3 पोली प्रापीलीन फिलामें द्स
- 4 रिक्रीनटरी
- 5 स्टोरेज बैटरी
- 6 रेडियो
- 7 फोनोग्राम
- 8 टेलीविजन सेट
- 8 स्विचिगयर (बिजली)
- 10 प्लास्टिक से बनी वस्तुएं
- 11 अस्पताल संबंधी साज-सामान, शल्योवकरण, सुई और ति,रत
- 12 वैज्ञानिक, वृत्तिक; मापन तथा प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणिकः
- 13 टायर तथा ट्यूव
- 14 7.5 कि 0 बा 0 रेटिंग्स से श्रिष्टिक के विजली के मोटर
- 15 रसायन जिसके ग्रन्तर्गत श्रौद्योगिक विस्फोटक, नाइट्रिक एसिड, सल्प्य्रिक एसिड,टिकाऊ .ভলীचिंग पाउंडर भी हैं।
- 16 सुगंधियां (परक्यूमरी)
- 17 चीनी मिट्टी के बर्तन
- 18 सिलाई मशीन की सुई
- 19 सिलाई मशीन
- 20 ट्रांसफार्मर
- 21 10 से0मी 0×10 से0मी0 से बड़े ग्राकार के भारी पंप
- 22 इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट
- 23 पंपतथा कम्प्रेसर
- 24 साबुन तथा अन्य कृतिम अपमार्ग्क (सिन्धेटिक डिटरजेन्ट्स)
- 25 ब्वायल्ड तथा स्टन्ड ग्रायल, सिन्धेटिक रेजिस ग्रौर प्रिटिंग इंक

- 26 फेटी एसिड, स्टियरिक एसिड तथा श्रायतिक एसिड
- 27 शोषण तेल उत्पाद (ड्राइंग आयल प्रोडक्ट्स) अर्थात् लिनोलियम तथा आकल क्लाव
- 28 स्नेहक (लुबरीकेन्ट) तथा ग्रीज
- 29 स्कूटर

परिशिष्ट 2 जिलों की सर्च

					क्लि	की	सुची		
1	श्रहमोड़ा						**	23	जौनपुर
2	ग्राजमगढ़						-	24	झांसी
3	बहराइच							25	ललितपुर
4	बलिया							26	मैन पुरी
5	बांदा							27	मथुरा
6	बाराबंवी							28	मुरादाबाद
7	बस्ती			•			,	29	पी लीभी त
8	बदायू	,	•					30	पिथौराग ढ़
9	बुलन्दश ह र							31	प्रतापगढ़
10	चमोली			•				32	रायबरेली
11	देवरिया							33	रामपुर
12	एटा							34	शाह्जहांपुर
13	इटा वा							35	सीतापुर
14	फैजाबाद							36	सुल्तानपुर
15	फर्घखाबाद							37	टेहरी-गढ़वाल
16	फते ह पु र							38	उन्नाव उन्नाव
17	गढ़वाल							39	उत्तरकाशी उत्तरकाशी
18	गाजीपुर							33	- W / W 41
19	गोंडा								•

परिशिष्ट 3

खंड (2) में निर्दिस्ट विज्ञापित माल की सूची

- 1 बाईसिकिल, ट्राईसिकिल, पैराम्बुलेटर, और उनके सहायक पुर्जे तथा भाग।
- 2 कांच ग्रीर कांच का सामान, जिसमें सभी ग्राकार का चुश्मों का कांच भी सम्मिलित है।
- विलायक_निस्सारण प्रिकाया (साल्वेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस) द्वारा निकाला गया तेल ।
- सभी प्रकार का पैकिंग का सामान, जिसमें पेटिया और कन्टेनर भी सिम्मिलित है।
- 5 रबर ग्रौर रबर के उत्पाद।
- 6 पेंसिलें।

हमीरप्रर

हरदोई जालौन

20 21

22

- 7 पेन्ट, वारिनश, एनामेल, थिनर ग्रौर सम्बद्ध सतही लप उत्पाद ग्रौर उसके संघटक ।
- विद्रीयस (कांचीय) एनामल-उत्पाद ।
- प्रेशर कुकर और उनके भाग्रा।
- 10 खेल कूद का सामान जिसके अन्तर्गत खेलकूद के जूते और प्लेफील्ड तथा जिमनाशियम उपकरण भी सम्मिलित है।
- 11 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, 1956) की धारा 14 में संग पारिभा षित लोहा तथा इस्पात ।

संख्या-एस 0टी 0-2-3005/दस---1035(20)-74

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश साधारण खंड ग्रिधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश श्रिधिनियम संख्या 1,1904) की झारा 21 के साथ पठित उत्तरप्रदेश बिकी-कर ऐक्ट, 1948ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15,1948ई0) की बारा 4 के अधीन ग्रिधिकारों का प्रयोग कर के, राज्यपाल इस विज्ञाप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी विज्ञाप्ति संख्या एस 0टी 0-2-6623/दस—1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में निम्न- लिखित संशोधन करते हैं:——

संशोधन

उपर्युक्त विज्ञ प्तिमें मद (1) ग्रौर (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा, श्रर्थात् "पुस्तके ग्रौर पित्रकाये"।

संख्या-एस 0 टी 0-2-3006/दस--1035(20)-74

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश बिकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई0) की धारा 3-क की उप-धारा (2-क) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल--

इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, सरकारी विज्ञप्ति संख्या – एस0 टी0-2-6624 दस – 1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 को ग्रतिकमित करते हैं ; ग्रौर

यह स्रादेश देते हैं कि, उपरोक्त दिनांक से, निम्नांकित सूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, उसके निर्माता स्रथवा स्रायातकर्ता द्वारा बिकी के स्थल पर, उक्त सूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सम्मुख निर्दिष्ट घटाई गई दर पर कर देय होगा :

सूचो

त्रम-संख्या	माल का विवरण	· ·		कर की दर
1	2	 	 	3
1-पोलीएस्टर	स्टेपिल फाइबर	 	 	2 प्रतिगत
2-नैप्था	• •	 	 	5 प्रतिशत
3-कापियां (Exercise Books)	 		5 प्रतिगत

संख्या-एस 0 टी 0-2-3007/दस--1035(20)-74

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेण बिकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948]ई0) की धारा 4-ख के अधीत प्रिधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल खादेश देते हैं कि, इस विज्ञाप्ति के गजट में प्रकाशित होते के दिनांक से और उपर्यक्त धारा में विनिद्धिष्ट शर्तों और निर्वत्धनों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे ब्यापारी द्वारा, जिसके पास मान्यता का प्रमाण पत्र हो, कापियां बनाने में या उसके द्वारा बनाई गई कापियों को पैक करने में प्रयोग के निष्ठ उपके द्वारा खोलिन 'कच्के माल' के सम्बन्ध में बिकय या, यथास्थिति, क्रय पर कोई कर देय नहीं होगा।

संख्या एस 0 टी 0-2-9251/दस--5 (1)-73

लखनऊ, 20 मई, 1976

ं उत्तर प्रदेश बिकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई0) की धारा 4 के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी व्यापारी द्वारा—

- (1) भूटान सरकार या
- (2) हिज मैजेस्द्री भूटान नरेण या भूटान राज परिवार के किसी सदस्य, या

- (3) भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (इण्डियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम), भूटान या दन्तक प्रोजेंक्ट, भूटान या
- (4) भूटान में भारतीय प्रतिनिधि या सीमान्त सड़क संगठन (बार्डर रोड आर्गनाइजेशन), या
- (5) भूटान में किसी व्यापारी या शासनेतर व्यक्ति को.

भूटान में उसके उपयोग या पुनः बिकी के लिए किसी माल की विकी पर उक्त ऐक्ट के अधीन इस शर्त पर कोई कर देय नहीं होगा कि व्यापारी नीचे उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सरकारी मुहर से प्रमाणित इस ब्राशय का प्रमाण-पन्न कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करें कि माल भूटान को निर्यात करने और वहां पर उपयोग के लिए हैं और वह भूटान के राज्य क्षेत्र में वास्तव में पहुंच गया है :---

- (1) भूटान सरकार, हिज मैं जेस्टी भूटान नरेश या भूटान राज परिवार के किसी सदस्य को की गयी दिक्री की स्थित में, भूटान सरकार के किसी स्रायुक्त, उप श्रायुक्त या परगना अधिकारी द्वारा या निदेशक, राज्य व्यापार निगम, भूटान, या मुख्य स्रभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भूटान सरकार या वित्त मंत्री, भूटान सरकार द्वारा;
- (2) दन्तक प्रोजेक्ट को की गयी विक्री की स्थिति में, मुख्य ग्रभियन्ता, दन्तक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य ग्रधिकारी द्वारा;
- (3) भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल को की गयी विकी की स्थिति में, कमान्डेन्ट, म्राई 0 एम 0 टी 0 म्रार 0 ए 0 टी 0 या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नाम-निर्दिश्ट किसी मन्य स्रिकारी द्वारा; ग्रीर
- (4) किसी अन्य विकी के सम्बन्ध में, वित्त मंत्री, भूटान सरकार या परगना अधिकारी, भूटान सरकार, फन्टशोलिंग या भूटान में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा नाम-निर्दिष्ट उसके कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा ।

संख्या-एस 0 टी 0-2-870/दस--11(11)-75

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश बिकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई0) की धारा 4 के खण्ड (ख) के प्रधीन प्रधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल खादेश देते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से, तिब्बतन वीमेन्स सेन्टर, देहरादून द्वारा किसी माल की बिकी पर, चार वर्ष की अवधि के लिए उक्त ऐक्ट के अधीन कोई कर देय नहीं होगा।

संख्वा-एस 0 टी 0-2-2959/दस--11(33)-73

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश विकी-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट सख्या 15, 1948 ई0) की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि, दिनांक 1 जून, 1976 से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बारदाना (पैंक करने की सामग्री) और कन्टेनर के विकय-धन पर कोई कर नहीं देंग होगा, जो केवल उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन कर-मुक्त घोषित माल का संव्यवहार करता है किन्तु अपने मुख्य कारबार के केवल आनु वंगिक रूप में पैक करने की सामग्री और कन्टेनर बेचता है।

संख्या-एस 0 टी 0 -2-29 60/4स--9 00(30)-70

लखनऊ, 20 मई, 1976

उत्तर प्रदेश बिकी-कर ऐक्ट 1948 ई0 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948) की धारा 4 के खण्ड (ख) के प्रधीन प्रधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल यह ब्रादेश देते हैं कि दिनांक 1 जून, 1976 से उत्तर प्रदेश में सरकारी कोषागारों श्रीर उप-कोषागारों द्वारा ''वाटर मार्क कागज'' की बिकी पर उक्त ऐक्ट के ब्रधीन कोई कर देय नहीं होगा ।

No. ST-II-2956/X-6 (17) -76

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 3A of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from May, 20, 1976, the following amendment in Government notification no. ST-II—332/X-1012-1971, dated November 15, 1971 as amended from time to time:

Amendment

In the Schedule to the aforesaid notification, for the existing entries under columns II, III and IV against items 26, 32, 39, 62, 89 and 112, the following entries shall be substituted:

I	п	III .	IV	
	All kinds of cosmetics and toilet preparations for beautification or care of the face, skin, hair, nails, eyes or brows but not including soaps, safety razor blades, tooth pastes, tooth powders and other dentifrices, tooth brushes and Kum-Kum.	M or 1	12 per co	ent
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	All electrical goods, instruments, apparatus, appliances and all such articles the use of which cannot be nad except with the application of electrical energy, including fans, fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixtures, fittings and accessories), electrical earthenware and porcelain and all other accessories and component parts, whether old as a whole or in parts, but excluding electrical equipment, plant and their accessories required for generation, distribution and transmission of electrical energy, electric motors and parts thereof, torches.	M or I	12 per ce	ent
9. 9.	All goods and wares made of glass, but not including plain glass-panes, optical lenses, hurricane lantern chimneys, bottles and phials, glass-beads, clinical syringes, thermometers, and scientific apparatus and instruments made of glass.	M or I	12 per c	ent
2	(a) Motor Car (b) Motor trucks and motor buses, including their chassis and motor bodies built thereon.	Sale to consumer or Hire purchase company financing the purchase by the consumer	7 per c	
, 	(c) All other motor vehicles in- cluding their chassis and motor bodies of all shapes and designs (including motor caravans and tankers), whether built on chasis or separately.	Ditto	12 per co	

<u> </u>	<u>II</u>	III	IV
but exc also exc the Un Spirit,	and spirituous liquors of dis, including methyl alcohol, cluding country liquor and cluding alcohol as defined in ited Provinces Sales of Motor Diesel Oil and Alcohol Taxact, 1989.	M or I	12 per cent
ar	Electronic goods, equipments, opliances, and parts and cessories thereof, but not cluding Television sets.	M or I	12 per cer
(b) T	Television sets.	M or I	7 per cer

No. ST-II-2957/X-6 (17) -76 Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under the proviso to sub-section (2-A) of section 3-A of the U. P. Sales Tax Act. 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), readwith section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from May 20, 1976, the following amendment in Government notification no. ST-II-4949/X-10(2)-74, dated May 30, 1975, as amended from time to time:

Amendment

In the Schedule to the aforesaid notification, after serial no. 30, the following serial shall be inserted, namely:

Description of goods	point at which tax shall be levied	Rate of tax
II	III	IV
educational Charts, instru- oxes, educational globes and ents. such as instruments mechanical drawing and used by students.	M orI	3 per cen
	II educational Charts, instru- oxes, educational globes and ents, such as instruments mechanical drawing and	educational Charts, instru- oxes, educational globes and ents, such as instruments mechanical drawing and

No. ST-II-2958/X-9(1)-76

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under section 4-B of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904), and in supersession of Government notification no. ST-II-4938/X-10 (2) -74, dated May 30, 1975, as amended from time to time, the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, and subject to the conditions and restrictions specified in the said section 4-B,—

(1) no tax shall be payable on the sale to or, as the case may be purchase by a new unit in respect of raw materials, required by it for use in the manufacture of the goods mentioned in Annexure I or for the packing of the said goods manufactured by it, for a period of five years from the date of starting production, if the new unit is established in the districts mentioned in Annexure II and for a period of three years from such date if it is established in the remaining districts of the State:

Provided that the date of starting production does not fall later than the first day of January, 1971;

(2) no tax shall be payable on the sale to or, as the case may be purchase by any unit in respect of 'raw materials' required by it for use in the manufacture of the goods mentioned in Annexure III or for the packing of the said goods manufactured by it;

23

- (3) in the case of any unit other than those referred to in clauses (1) and (2) above, but not including Distilleries and Breweries and units engaged in the manufacture of paper, catechu (Kattha), Matches, empty match-boxes, match-splints and match-veneers, tax shall be leviable on the sale to or, as the case may be, purchase by the said units of "raw materials" acquired by it for the manufacture or packing of goods manufactured by it at the concessional rates, inclusive of additional tax, if any, payable under section 3-F of the said Act of 1948, indicated below:
 - (a) Oilseeds as defined in section 14 of the Central Sales tax Act, 1956 (Act 74 of 1956)

2 per cent

(b) Oil Cake

3 per cent

(c) Any other 'raw material'

4 per cent

Provided that no concession under this notification shall be admissible if the goods manufactured by the unit are not liable to tax at any stage under the said Act of 1948.

Explanations—(1) New unit means a factory or workshop using machinery or accessories or components thereof, not already used or acquired for use in any other factory or workshop in Uttar Pradesh but does not include any factory or workshop established on the site of an existing factory or workshop manufacturing the same goods or any addition to or extension of an existing factory or workshop.

(2) Date of starting production' means the date on which any raw material required for use in the manufacture or packing of the notified goods is purchased for the first time.

ANNEXURE I

List of Notified goods referred to in clause' (1):

- 1. Oil Engines and Oil Expellers
- 2. Power tillers
- 3. Polly Propylene filaments
- Reractories
- Storage Batteries
- 6. Radios
- 7. Phonograms
- 8. Television Sets
- 9. Switch-gears (Electric)
- Plastic Products
- 11. Hospital Equipment and Surgical instruments, needles, and syringes.
- 12. Scientific, professional, measuring and process control instruments
- Tyres and Tubes
- 4. Electric motors of more than 7.5 kw rating
- 15. Chemicals, including industrial explosives, nitric acid, sulphuric acid, stable bleaching powder.
- Perfumery
- 17. China Potteries
- 18. Sewing machine needles
- 19 Sewing machines
- 20. Transformers
- 21. Heavy pumps of sizes above 10 cm. ×10 cm.
- 22. Electric Equipment
- 23. Pumps and Compressers
- 24. Soap and other synthetic detergents

- 25. Boiled and stand oils, synthetic resins and printing inks
- Fatty acids, stearic acid and oleic acid
- 27. Drying oil Products, viz. linoleum and oil-cloth
- 28. Lubricants and greases
- 29. Scooters.

ANNEXURE II

List of districts

			•
1.	Almora	21.	Hardoi
$\frac{2}{\cdot}$	Aza mg arh	22.	jalaun
3.	Bahraich	23.	Jaunpur
·4.	Ballia	24.	[hansi
ŏ.	Banda	25.	Lalitpur
6.	Bara Banki	26.	Mainpuri
7.	Basti	. 27.	
8.	Badaun	28.	Moradabad
9.	Bulandshahr		Pilibhit
10.	Chamoli	30.	Pithoragarh
11	Deoria		Pratapgarh
12.	Etah	32.	Rae Bareli
13.	Etawah	. 33.	Rampur
14.	Faizabad	34.	Shahjahanpur
15.	Farrukhabad	· 35.	Sitapur
16.	Fatehpur	36.	Sultanpur
17.	Garhwal		Tehri Garhwal
18.	Ghazipur	38.	Unnao
1 9 .	Gonda	39.	Uttarkashi.
20.	Hamirpur		

ANNEXURE III

List of Notified goods referred to in clause (2)

Bicycles, tricycles, perambulators and accessories and parts thereof Glass and glass-ware including optical glass in all forms. .2.

Oils extracted by solvent extraction process.

- All kinds of packing materials including cases and containers
- Rubber and rubber products
- Paints varnishes, enamels, thinners and allied surface coating products and constituents thereof.
- Vitreous enamelled products
- Pressure Cookers and parts thereof
- 10. Sports goods including sports shoes and playfield and gymnasium equipment.
- Iron and Steel as defined in section 14 of the Central Sales Tax Action 1956.

No. ST-2-3005/X-1035 (20) /74

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under section 4 of the U. P. Sales Tax Activities (U. P. Act no. XV of 1948), read with section 21 of the U. P. Generalist Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette; the control of th following amendment in Government notification no. ST-2-6623/X-1012-72 dated December 1, 1973:-

Amendment

In the aforesaid notification, for items (i) and (ii), the following shall be substituted namely: - "Books and Magazines."

No. ST-2-8006/X-1035 (20) -74

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under the proviso to sub-section (2-A) of section 3-A of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no XV of 1948), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased—

to supersede, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, Government notification no. ST-2-6624/X-1012-1972, dated

to order that, with effect from the aforesaid date, the turnover in respect of the goods mentioned in Column II of the List below shall be liable to tax at the point of sale by the manufacturer or importer thereof at the reduced rate specified against each in column III of the said List:—

LIST

Serial No Discription of goods			
	. 3000	Rate of Tax	
	2	3	
1. Poi	yester Staple fibre		
2. Na	ptha	2 per cent	
	ercise Books	5 per cent	
	N. OTTO	5 per cent	

No: ST-2-3007/X-1035 (20) -74

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under section 4-B of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette and subject to the conditions and restrictions specified in the aforesaid section, no tax shall be payable on the sale to or, as the case may be, purchase by a dealer holding a recognition certificate in respect of raw materials required by him for use in the manufacture or packing of exercise books manufactured by him.

No. ST-2-9251/X-5(1)-73

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under section 4 of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, no tax under the said Act shall be payable by a dealer on his sales of any goods to the—

- (1) Government of Bhutan, or
- (2) His Majesty the King of Bhutan or a member of the Bhutan Royal Family, or
- (3) Indian Military Training Team, Bhutan or the Dantak Project, Bhutan, or
- (4) the Representative of India in Bhutan or the Border Roads
- (5) any dealer or private individual resident in Bhutan, or their use or for resale in Bhutan, on the condition that the dealer furishes to the assessing authority a certificate, duly signed and certified under le official seal by the authorities mentioned below, to the effect that the cods are for export to and use in Bhutan and have actually entered into the critories of Bhutan:
 - (1) in the case of sales made to the Government of Bhutan, His Majesty the King of Bhutan or to a member of the Bhutan Royal famil,

by a Commissioner, Deputy Commissioner or Sub-Divisional Officer of the Government of Bhutan, or by the Director, State Trading Corporation of Bhutan, or by the Chief Engineer, Public Works Department, Government of Bhutan, or by the Finance Minister, Government of Bhutan;

- (2) in the case of sales made to Dantak Project, by the Chief Engineer, Dantak or any officer specifically nominated by him for this purpose;
- (3) in the case of sales made to Indian Military Training Team, by the Commandant, IMTRAT, or any other officer specifically nominated by him for this purpose; and
- (4) in respect of any other sales, by the Finance Minister, Government Bhutan, or by the Sub-Divisional Officer, Government of Bhutan, Phuntsholing, or by an officer of the office of the Representative of India in Bhutan nominated by the said Representative.

No. ST-2-870/X-11 (11) -75

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under clause (b) of section 4 of the U. P. Sales, Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), the Governor is pleased to order that, with effect from April 1, 1976, no tax under the said Act shall be payable for a period of four years on the sale of any goods by Tibetan Women's Centre, Dehra Dun.

No. ST-II-2959/X-I1 (33) -73

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under clause (b) of section 4 of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), the Governor is pleased to order that, with effect from June 1, 1976, no tax shall be payable on the turnover of sales of Bardana (packing material) and containers by a person who deals exclusively in goods declared tax-free under the aforesaid Act, but sells packing materials and containers only as insidental to his main business.

No. ST-II-2960/X-900 (30) -70

Dated Lucknow, May 20, 1976

In exercise of the powers under clause (b) of section 4 of the U. P. Sales Tax Act. 1948 (U. P. Act no. XV of 1948), the Governor is pleased to order that with effect from June 1, 1976, no tax under the said Act shall be payable, on the sale of "Water Mark Paper" by Government Treasuries and Sub-Treasuries in Uttar Pradesh.

आजासे, ऋषि कुमार कौल, वित्तसचिव।